बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2014 (वि0सं0–07070114) के आधार पर श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित वैसे अभ्यर्थी (Candidate) जो दि0–14.09.2018 के शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखो/ बायोमैट्रिक की जाँच/सत्यापन (Certificate Verification) हेतु उपस्थित नहीं हुए थे उन्हें एक अवसर देते हुए शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखों/ बायोमैट्रिक की जाँच/सत्यापन (Certificate Verification) हेतु एतदर्थ गठित समिति द्वारा आयकर गोलंबर के नजदीक **'नियोजन भवन' स्थित श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के तृतीय तल स्थित श्रमायुक्त कार्यालय में दिनांक–23.10.2018 (मंगलवार) समय –10:30 बजे पूर्वा0 में** निर्धारित किया जाता हैः–

अभ्यर्थी का नाम एवं रौल नं0 (Roll No.)	
1. पंकज कुमार सिंह,	रौल न0– 117297
2. रमण कुमार,	रौल न0– 112426
3. शशि भूषण,	रौल न0– 104369
4. चंदन कुमार सिंह,	रौल न0– 104279
5. विवेक कुमार,	रौल न0– 110633
6. निमाई कुमार महत्तो,	रौल न0– 103589
7. अभिषेक कुमार,	रौल न0– 106881
8. सुमित शेखर,	रौल न0– 106305
9. आनंद कुमार,	रौल न0– 113461
10. संतोष कुमार,	रौल न0– 109102

प्रमाण–पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो–दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाऐं :–

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र।
2. इण्टरमीडियट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate)।

5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित कोटि के अनु0जाति /अनु0जन जाति अभ्यर्थियों के लिए)।

6. बिहार सरकार के नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।

7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card)

8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।

9. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रपत्र (दो प्रतियों में) अभ्यर्थी अपने साथ लावें। उक्त विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट www.labour.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

10. पासपोर्ट साईज का 4 (चार) फोटो एवं अपना आधार कार्ड ।

11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र कि सभी प्रमाण-पत्र सही है तथा उनके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है। (विहित प्रपत्र) में।

उक्त शपथ पत्र हेतु विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट www.labour.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

12. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत यथा आवश्यक दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।

नोट :- (i) प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(ii) अगर अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में विधिसम्मत निर्णय लिया जायेगा।

ह0/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-85/2018 श्र0सं0- 7063 पटना, दिनांक- 11-10-18

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को प्रेषित।

2. इसे कृपया विभागीय बेवसाईट पर अप-लोड करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-प्रेस विज्ञप्ति/विहित प्रपत्र।

11/10/18

श्रमायुक्त, बिहार